R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

खण्ड XII ◆ अंक 5
नवंबर 2015

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग विनियमन

निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों/मताधिकारों के अर्जन के लिए पूर्व अनुमोदन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2015 को निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या मताधिकारों के अर्जन के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता से संबंधित संशोधित निदेश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के प्रावधान निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए और भारत में परिचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त, स्थानिक क्षेत्रीय बैंकों सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के मौजूदा और प्रस्तावित ''प्रमुख शेयरधारकों'' पर लागू होंगे।

हर व्यक्ति जो अधिग्रहण/अधिग्रहण के लिए करार करना चाहता है जिससे उसकी कुल धारिता उसके, उसके रिश्तेदारों, सहयोगी उद्यमों और उसके साथ जुड़े व्यक्तियों द्वारा धारित शेयर/मतदान के अधिकार/अनिवार्यतः परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड सहित संबंधित बैंक की कुल चुकता शेयर पूंजी अथवा मतदान के अधिकार के 5 प्रतिशत से अधिक होती हो तो रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाए। इन दिशा निर्देशों में निम्नलिखित मुख्य बदलाव किए गए हैं:

- यदि कोई व्यक्ति किसी निजी बैंक में 5 प्रतिशत या इससे अधिक के शेयरों या अनिवार्यतःपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बाण्डों या मताधिकारों का अर्जन करना चाहता है या वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों/बाण्डों का अंतरण करना चाहता है तो उसे रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।समुचित सावधानी के परिणाम और संबंधित बैंक से प्राप्त जानकारी सहित, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक आवेदित मात्रा के अधिग्रहण के लिए अनुमति दे सकता है / देने से इनकार कर सकता है अथवा आवेदित मात्रा से कम मात्रा के लिए अनुमति दे सकता है।रिजर्व बैंक का निर्णय आवेदक और संबंधित बैंक को सूचित किया जाएगा और यह दोनों पर बाध्यकारी होगा।
- मौजूदा प्रमुख शेयरधारक, जिसने बैंक में एक प्रमुख शेयर हिस्सेदारी रखने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, को संबंधित बैंक के शेयरों, मताधिकारों के ऐसे नए वृद्धिशील अर्जन करने से पहले रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते प्रस्तावित कुल अधिग्रहण संबंधित बैंक के मताधिकारों या शेयरों के 10 प्रतिशत तक हो। तथापि अगर ऐसे वृद्धिशील अर्जन से बैंक में मौजूदा प्रमुख शेयरधारक का कुल अधिग्रहण 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाता हो तो ऐसे वृद्धिशील अर्जन के पहले रिजर्व बैंक से नया पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- प्रमुख शेयरधारकों अर्थात उन शेयरधारकों, जिनके पास उपर्युक्त के अनुसार बैंक की चुकता शेयर पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है को अपने 'योग्य और उचित' रहने की स्थिति के संबंध में संबंधित बैंक को वार्षिक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा और बैंक द्वारा किए गए आकलन के अनुसार किसी प्रमुख शेयरधारक को 'योग्य और उचित' नहीं पाए जाने पर संबंधित बैंक को तत्काल आवश्यक सूचना रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

इन निदेशों में निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख शेयरधारकों के 'योग्य और सही' रहने की स्थिति के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी प्रक्रिया दी गई है। इस प्रयोजन के लिए प्रमुख शेयरधारकों को अपने ''योग्य और उचित'' दर्जे की समीक्षा करने के लिए संबंधित बैंक के पास वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक माह के अंदर निर्धारित फार्मेट में वार्षिक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। मौजूदा प्रमुख शेयरधारक को ''योग्य और उचित'' दर्जे का नहीं पाए जाने पर संबंधित बैंक को तुरंत उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को देनी होगी ।

प्रमुख शेयरधारिता के अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई अनुमति से तब तक स्वतः ही मताधिकार में वृद्धि नहीं होगी जब तक रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=35506)

जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 अक्तूबर 2015 को जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता (डीईए) निधि से वित्तीय सहायता अनुदान के लिए संस्थाओं, संगठनों और संघों के पंजीकरण के लिए नए आवेदनों की दूसरी श्रृंखला के लिए आवेदन आमंत्रित किए। आगे, रिज़र्व बैंक ने पात्र संस्थाओं द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित शर्तों से संबंधित प्रावधानों को और समिति के निर्णयकी प्रक्रिया से संबंधित कुछ पहलुओं को भी संशोधित किया है।

पात्र संस्थाएं आवेदन फार्म में दर्शाए गए दस्तावेजों की सूची के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों/सूचना के साथ निर्धारित फार्मेट में मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को 8 जनवरी 2016 तक आवेदन कर सकती हैं। जिन संस्थाओं ने 9 जनवरी 2015 की प्रेस प्रकाशनी के अनुसार पहली श्रृंखला में पंजीकरण हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे, वे दूसरी श्रृंखला में पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं।

इससे पहले, 1 अक्टूबर 2015 को रिज़र्व बैंक ने उन 20 संस्थाओं के नाम जारी किए जिनको जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता अनुदान प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के लिए डीईए निधि समिति द्वारा अनुमोदित

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग विनियमन
- निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों/मताधिकारों के अर्जन के लिए पूर्व अनुमोदन 1
- जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित 1
- सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा 2
- **सहकारी बैंकिंग विनियमन**
- शहरी सहकारी बैंक द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना 3

भुगतान प्रणालियां
- भारतीय रिज़र्व बैंक का एनपीसीआई को बीबीपीसीयू के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 3
- टीआरईडीएस के लिए तीन आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन 4

विदेशी मुद्रा प्रबंधन
- बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर निर्यात की फाइलिंग 4
- निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार की हेजिंग 4
- म्यांमार के साथ वस्तु विनिमय व्यापार से सामान्य व्यापार 4
- अनिवासी भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदान 4

राय/प्रतिसूचना
- भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन पर कार्यदल की रिपोर्ट 4

किया गया है। इन 20 संस्थाओं को पंजीकरण के लिए प्राप्त 90 आवेदनों में से चुना गया है। पंजीकृत संस्थाएं इस निधि से परियोजना विशिष्ट वित्तीय सहायता के लिए सभी संगत और सहायक दस्तावेजों/सूचना के साथ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में आवेदन कर सकती हैं।

20 संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	पंजीकृत संस्थाओं के नाम
1.	वसंत लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर, नेल्लूर, आंध्र प्रदेश
2.	सोसाइटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश
3.	वोल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली
4.	प्रोग्रेसिव एक्शन फॉर कम्यूनिटी इमैनसिपेशन (पीएसीई), चित्तूर, आंध्र प्रदेश
5.	इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ अल्टरनेटिव फाइनैंशिएल इंस्टीट्यूशन्स-इंडिया, मदुरै
6.	समर्पित-सेंटर फॉर पावर्टी एलिवेशन एंड सोशल रिसर्च, बिलासपुर
7.	वोल्यूंटरी इंटिग्रेटेड डिवलेपमेंट सोसाइटी, आंध्र प्रदेश
8.	इनिशिएटिव्स फॉर डिवलेपमेंट फाउंडेशन, बंगलुरु
9.	मदर, भुवनेश्वर
10.	जेनेसिस एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैंस एजुकेशन ट्रस्ट, मुंबई
11.	मनीलाइफ फाउंडेशन, मुंबई
12.	एएसएसएलएस ऑर्गेनाइजेशन, आंध्र प्रदेश
13.	कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी, अहमदाबाद बैंकिंग विनियमन
14.	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी (सीयूटीएस), जयपुर
15.	इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रोफाइनैंस फॉर विमिन, अहमदाबाद
16.	स्वाधार फिनएक्सेस, मुंबई
17.	जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर
18.	अपराजित महिला, इंदौर
19.	प्रियसाक्षी महिला संघ, इंदौर
20.	डीएचएएन फाउंडेशन, मदुरै

(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplayaspx?prid=35130)

सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा

रिज़र्व बैंक ने 05 नवंबर 2015 को राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलबध कराने की अनुमति प्रदान की। तदनुसार, सभी सहकारी बैंकों के लिए एकरूपी दशिानिर्देश जारी किए गए हैं :

इंटरनेट बैंकिंग (व्यू मात्र) सुविधा :

लाइसेंस-प्राप्त ऐसे राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक तथा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन के बिना अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग (व्यू मात्र) सुविधा उपलबध करा सकते हैं जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू किया हो और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 6 (आईपीवी6) में तबदील हुए हों। यदि 'व्यू मात्र' सुविधा के अंतर्गत किसी सेवा के लिए दो-फैक्टर वाले प्राधिकार या एकबारगी पासवर्ड (ओटीपी) अपेक्षित हो तो बैंक सुरक्षा संबंधी उन विशेषताओं को अपनाएं जो ऐसी सेवाओं के लिए समुचित हों। अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग (व्यू मात्र) सुविधा उपलब्ध कराने वाले सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सुविधा केवल गैर-लेनदेन सेवाओं तक ही सीमित है, जैसे कि शेष राशि की पूछताछ, शेष राशि जानना, खाते के विवरण का डाउनलोड, चेक बुकों की आपूर्ति का अनुरोध, आदि तथा किसी भी निधि-आधारित लेनदेनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। सहकारी बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग (व्यू मात्र) सुविधा का परिचालन शुरू करने की तारीख से एक माह के भीतर रिज़र्व बैंक (राज्य सहकारी बैंकों/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में नाबार्ड को भी) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उक्त सेवा की शुरुआत संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

लेन-देन की सुविधा के साथ इंटरनेट बैंकिंग:

सभी लाइसेंस धारी राज्य सहकारी बैंक, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू कर दिया है और इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 (आईपीवी 6) के लिए अंतरण कर लिया है, वे रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित मानदंडों के अधीन अपने ग्राहकों के लिए लेन-देन की सुविधा के साथ इंटरनेट बैंकिंग का प्रस्ताव कर सकते हैं :

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 10 प्रतिशत से कम न हों ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को निवल मूल्य 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो;
- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 7 प्रतिशत से कम और निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 3 प्रतिशत से अधिक न हो ;
- बैंक ने ठीक पहले वाले वित्त वर्ष में शुद्ध लाभकर अर्जित कर लिया हो और कुल मिला कर, पिछले चार वित्तीय वर्षों में से कम से कम तीन में निवल लाभ कमाया हो;
- बैंक ने ठीक पहले वाले वित्त वर्ष के दौरान नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) / सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव में चूक न की हो।
- बैंक के पास बोर्ड पर कम से कम दो पेशेवर निदेशकों के साथ उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हो।
- विनियामक अनुपालन संबंधी बैंक का पिछला कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड हो और आवेदन करने के वर्ष के पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों/ दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया गया हो ।

आवेदन करना:

इच्छुक राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक निर्धारित दस्तावेजों के साथ (राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में नाबार्ड के माध्यम से) रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक जो पहले से ही अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग (व्यू मात्र) की सुविधा दे रहे हैं, तुरंत इन दिशा-निर्देशों के आलोक में अपने सिस्टम की समीक्षा करें और इन दिशा-निर्देशों के जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर, रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय (नाबार्ड के माध्यम से) को उनके द्वारा प्रस्तावित सेवाओं के प्रकार और इन दिशा निर्देशों के उनके द्वारा किए जा रहे अनुपालन की सीमा की सूचना दें ।दिशा-निर्देशों से विचलन के अनुपालन के लिए एक कार्य योजना निर्धारित समय सीमा के साथ सूचित की जाए। पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग लेन-देन संबंधी सेवाओं की आपूर्ति कर रहे राज्य सहकारी बैंकों / डीसीसीबी को सलाह दी जाती है कि वे इन निर्देशों का अनुपालन करें और अपने बिज़नेस मॉडल, लागत / लाभ आदि के अनुमानों के विवरण प्रस्तुत करें तथा इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करें । इस तरह के आवेदन रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को नाबार्ड के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं।

आवश्यकताएँ:

अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए इच्छुक लाइसेंसधारी राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित का अनुपालन करना चाहिए ,

1. बैंक को बोर्ड के अनुमोदन के साथ इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए।
2. नीति बैंक की समग्र सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा नीति के अनुसार उचित होनी चाहिए जिससे रिकॉर्ड और सुरक्षा प्रणाली की गोपनीयता सुनिश्चित हो सकें।
3. नीतिमें 'अपने ग्राहक को जानिए' आवश्यकताओं के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्धारित की जानी चाहिए ।
4. नीति में प्रौद्योगिकी और सुरक्षा मानकों को शामिल किया जाए और इसके अलावा, कानूनी, विनियामक और पर्यवेक्षी मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए।

5. बैंक में उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हो और सेवा प्रदान करने में शामिल परिचालन जोखिम पर भी विचार किया जाए।

6. सुविधा के प्रस्ताव के पहले ग्राहकों के सम्मुख जोखिम, जिम्मेदारियों और देनदारियों के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाए।

रिपोर्टिंग:

बैंक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को (राज्य सहकारी बैंक, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में नाबार्ड को भी) सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के हर उल्लंघन या विफलता की रिपोर्ट करेंगे और रिज़र्व बैंक (राज्य सहकारी बैंक, ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में नाबार्ड भी) द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे बैंक की एक विशेष लेखा परीक्षा अथवा निरीक्षण के संबंध में निर्णय करेगा।

(https://rbi.org.in/Scripts/Notification User.aspx?Id=10111&Mode=0)

इसी प्रकार ग्राहक सेवा में वृद्धि करने और ऐसी सेवाओं के लिए मांग का विचार करते हुए रिजर्व बैंक ने, 19 नवंबर 2015 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा का विस्तार करने के लिए अनुमति दी।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10128&Mode=0)

सहकारी बैंकिंग विनियमन

शहरी सहकारी बैंक द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियां रखना

रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2015 को अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, को अन्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी। तथापि, अन्य शहरी सहकारी बैंकों से जमाराशियां स्वीकार करने वाले प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक अन्य शहरी सहकारी बैंकों को विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपस में एक व्यवस्था करें। इन विशिष्ट सेवाओं में समाशोधन प्रयोजनों, डिमांड ड्राफ्ट व्यवस्था, सीएसजीएल सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विदेशी मुद्रा लेनदेन, विप्रेषण सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधाओं जैसे बैंक गारंटी (बीजी), साख पत्र (एलसी) के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करना शामिल है। तथापि, निवेश के उद्देश्य से जमाराशियां रखने के लिए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, वे अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक जिन्होंने अन्य गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से जमाराशियां की हैं किंतु निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करती हैं, को सूचित किया जाता है कि वे 31 मार्च 2019 तक अन्य शहरी सहकारी बैंकों की मौजूदा जमाराशियों का चरणबद्ध तरीके से बहिर्वाह दें।

शहरी सहकारी बैंक जो वर्तमान में निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं किंतु भविष्य में उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, वे ऐसा होने पर तुरंत गैर-अनुसूचित/अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से नई जमाराशियां स्वीकार करने के पात्र नहीं रहेंगे। अनुसूचित/गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियों का रखा जाना और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोज़र, अंतर-बैंक प्रतिपक्ष पार्टी एक्सपोज़र और कुल जमा देयताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन होगा।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10122&Mode=0)

भुगतान प्रणालियां

भारतीय रिज़र्व बैंक का एनपीसीआई को बीबीपीसीयू के रूप में कार्य करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन

रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2015 को भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) के रूप में कार्य करने के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान किया।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), जो कि एक समेकित बिल भुगतान प्रणाली है, ग्राहकों को 'कभी भी कहीं भी' की सुविधा प्रदान करने के लिए एकल ब्रैंड छवि के साथ देश में बिल भुगतान प्रणाली का परिचालन करने की एक सोपानबद्ध संरचना के रूप में कार्य करेगी। एनपीसीआई एक केंद्रीय इकाई होने के नाते समूची प्रणाली और उसके सहभागियों के लिए आवश्यक परिचालनात्मक, तकनीकी और कारोबार मानक तय करेगा तथा साथ ही समाशोधन और निपटान कार्यकलाप करेगा।बीबीपीएस के वर्तमान कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और डाइरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) जैसी जनोपयोगी बिलों का भुगतान शामिल है। प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर भविष्य में इसके अंतर्गत अन्य प्रकार के आवर्ती भुगतानों को शामिल किया जाएगा, जैसे विद्यालय / विश्विद्यालय के शुल्क, नगरपालिका कर आदि।

परिचालनकर्ता इकाइयां बिलों/आवर्ती भुगतानों की वसूली करने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगी। जो बैंक और गैर-बैंक संस्थाएं वर्तमान में भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीपीपीएस) के मौजूदा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल बिल भुगतान कार्यकलाप कर रही हैं वे भारत बिल भुगतान परिचालनकर्ता इकाइयों (बीबीपीओयू) या प्राधिकृत बीबीपीओयू के एजेंटों के रूप में भाग ले सकती हैं।

रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकों/बैंकों से परिचालनकर्ता इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार/अनुमोदन हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसकी अंतिम तारीख को पहले निर्धारित 20 नवंबर 2015 से बढ़ाकर 18 दिसंबर 2015 कर दिया गया है। 20 नवंबर 2015 को कार्य समय की समाप्ति तक रिज़र्व बैंक को प्राधिकार हेतु गैर-बैंक संस्थाओं से 12 आवेदन प्राप्त हुए और बैंकों से अनुमोदन हेतु बैंकों से 18 अनुरोध प्राप्त हुए। रिज़र्व बैंक 18 दिसंबर 2015 तक प्राधिकार/अनुमोदन संबंधी आवेदन प्राप्त करता रहेगा।

इससे पहले 20 अक्टूबर 2015 को रिज़र्व बैंक ने बिल भुगतान कार्य से जुड़ी तथा भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के अंतर्गत भारत बिल भुगतान प्रणाली परिचालनकर्ता इकाइयों के रूप में परिचालन करने हेतु इच्छुक संस्थाओं से प्राधिकार हेतु आवेदन आमंत्रित किए थे। ऐसी संस्थाओं के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने हेतु रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऐसे बिल भुगतान कार्यों से जुड़ी हों और ऐसे कार्य करते रहना चाहती हों।

गैर-बैंक संस्थाएं :

जिन गैर-बैंक संस्थाओं ने प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन भेजा हो और जो बीबीपीएस दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करती हों उन्हें पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत बीबीपीएस में शामिल होने के लिए 'सैद्धांतिक' प्राधिकार जारी किया जाएगा। जिन संस्थाओं ने प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है, किंतु वर्तमान में पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर रही हों, उन्हें पात्रता मानदंड को पूरा करने हेतु 31 दिसंबर 2016 तक समय-अवधि में एकबारगी विस्तार किया जाएगा। वे इस अवधि के दौरान बिल भुगतान संबंधी कार्य जारी रख सकती हैं। तथापि, ऐसी जो संस्थाएं 31 दिसंबर 2016 तक पात्रता मानदंड को पूरा नहीं कर पाती हों, उन्हें मौजूदा बीबीपीओयू के एजेंट बनना होगा अन्यथा 31 मई 2017 तक बिल भुगतान का कारोबार बंद कर देना होगा।

बैंक :

जो बैंक बीबीपीओयू बनना चाहते हों उन्हें यह कार्य करने के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन की प्रति के साथ-साथ भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग से एकबारगी अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्र प्रस्तुत करना होगा। बैंकों को बिलरों के स्वरूप और बीबीपीओयू के रूप में उनके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे और/या प्रस्तावित बिल भुगतानों का ब्योरा भी प्रस्तुत करना है।

ऐसी सभी संस्थाओं (बैंकों सहित) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत जारी बीबीपीएस दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए कारोबार चलाने वाले के रूप में माना जाएगा जो प्राधिकार/अनुमोदन के लिए आवेदन नहीं करती हों और बीबीपीएस के दायरे के अंतर्गत शामिल बिल भुगतान कार्य करना जारी रखती हों तथा रिज़र्व बैंक ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

इच्छुक संस्थाओं से की गई पूछताछ को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का एक सेट अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। यदि इस संबंध में विशेष रूप से कोई सवाल हो तो उसे 11 दिसंबर 2015 को कार्य समय की समाप्ति तक को bbps@rbi.org.in नामक ई-मेल पर भेजा जा सकता है।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspxprid=35552);
(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_Press ReleaseDisplayaspx?prid= 35465);
(https://www.rbi.org.in/scripts/FS_PressRelease.aspx?prid=35274)

टीआरईडीएस के लिए तीन आवेदकों को सैद्धांतिक अनुमोदन

रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2015 को व्यापार प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (टीआरईडीएस) की स्थापना व परिचालन के लिए तीन आवेदकों को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया :

- एनएसई स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसीएल) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), मुंबई
- एक्सिस बैंक लिमिटेड, मुंबई
- माइंड सल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा

यह 'सैद्धांतिक अनुमोदन 6 माह की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके दौरान आवेदकों को दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। इस बात से संतुष्ट होने कि आवेदकों ने 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के भाग के रूप में निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा कर लिया है, रिज़र्व बैंक उन्हें टीआरईडीएस का कारोबार शुरूकरने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र प्रदान करने पर विचार करेगा।

पष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक ने मार्च 2014 में ''सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) फैक्टरिंग-व्यापार प्राप्यराशि एक्सचेंज'' पर एक संकल्पनात्मक पत्र प्रकाशित किया था। उसके बादटीआरईडीएस की स्थापना व परिचालन के संबंध में 22 जुलाई 2014 को दिशानिर्देश का प्रारूप जारी किया गया। जनसाधारण/स्टेकहोल्डरों से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर 3 दिसंबर 2014 को भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए। टीआरईडीएस की स्थापना व परिचालन के लिए इच्छुक संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे 13 फरवरी 2015 तक प्राधिकार के लिए आवेदन करें जिसे बाद में 9 मार्च 2015 तक बढ़ा दिया गया। टीआरईडीएस की स्थापना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के नाम 25 मार्च 2015 को जारी किए गए। टीआरईडीएस से एसएमई को उन्हें प्राप्यराशि सिस्टम पर पोस्ट करने और वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए मदद मिलेगी। इससे न केवल उन्हें वित्त की प्राप्ति सुलभ होगी, बल्कि कंपनियों में समय पर अपनी ओर से देय राशि अदा करने का अनुशासन बढ़ेगा।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid =35551)

विदेशी मुद्रा प्रबंधन

बड़ी मात्रा में सॉफ्टवेयर निर्यात की फाइलिंग

रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2015 को सभी सॉफ्टवेयर निर्यातकों को अनुमति दी कि वे एकल और बहु सॉफ्टवेयर फॉर्म को प्रमाणन के लिए सक्षम प्राधिकारी को एक्सेल फार्मेट में फाइल करें। चूंकि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी)/विशेष आर्थिक अंचल (एसईजेड) से सॉफ्टवेयर निर्यात के आंकड़े रिज़र्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में अंतरित किए जा रहे हैं, निर्यातकों से अपेक्षित है कि वे सॉफ्टवेयर निर्यात फॉर्म को संशोधित प्रक्रिया के अनुसार दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। एसटीपीआई/एसईजेड एक प्रति रखेंगे और डुप्लिकेट प्रति उचित प्रमाणन के बाद निर्यातकों को सौंप देंगे। अब तक, सॉफ्टवेयर निर्यातक उपयोग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in से ऑफसाइट सॉफ्टवेयर निर्यात में सॉफ्टेक्स फार्म संख्या (एकल और बहु) सृजित कर सकते हैं। सॉफ्टेक्स संख्या संख्या सृजित करने के लिए आवेदक निर्यातक को आनलाइन फॉर्म भरना होगा (www.rbi.org.in⇒फॉर्म⇒फेमा फॉर्म⇒ईडीएफ/सॉफ्टेक्स फार्म संख्या मुद्रित करना)।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10113&Mode=0)

निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधार की हेजिंग

निवासियों द्वारा दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग को सुगम बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2015 को बहुपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई/आईएफआई) के साथ विदेशी मुद्रा (एफएसवाई)-भारतीय रुपया की स्वैप की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जिसमें भारत सरकार शेयरधारक सदस्य है :

1. ऐसे स्वैप लेनदेन संबंधित एमएफआई/आईएफआई द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I बैंक के साथ बैक टू बैक आधार पर किए जाएंगे;
2. एडी श्रेणी-I बैंक केवल उन एमएफआई और आईएफआई से स्वैप करेंगे जिनमें भारत सरकार शेयरधारक सदस्य है;
3. विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया स्वैप कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा;
4. निवासी उधारकर्ता द्वारा इसके स्वैप दायित्व में चूक किए जाने की स्थिति में संबंधित एमएफआई/आईएफआई भारत में प्रतिपक्ष पार्टी एडी श्रेणी-I बैंक के प्रति अपनी संबंधित देयताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा निधियां लाएगा;
5. एडी श्रेणी-I बैंक एमएफआई/आईएफआई के साथ बैक टू बैक आधार पर किए गए विदेशी मुद्रा-भारतीय रुपया स्वैप लेनदेन की रिपोर्ट सीसीआईएल के विदेशी मुद्रा उधारकर्ता के ब्यौरे वाले रिपोर्टिंग प्लेटफार्म पर करेंगे।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.x?Id=10114&Mode=0)

म्यांमार के साथ वस्तु विनिमय व्यापार से सामान्य व्यापार

रिज़र्व बैंक ने 19 नवंबर 2015 को निर्णय लिया कि भारतीय-म्यांमार सीमा पर वस्तु विनिमय व्यापार को बंद कर दिया जाए और 1 दिसंबर 2015 से पूरी तरह सामान्य व्यापार में रूपांतरण किया जाए। तदनुसार, 1 दिसंबर 2015 से भारतीय-म्यांमार सीमा पर होने वाले म्यांमार के साथ सभी व्यापार लेनदेनों का निपटान एशियाई समाशोधन यूनियन तंत्र के अतिरिक्त किसी भी अनुमत मुद्रा में किया जाएगा।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=10112&Mode=0)

अनिवासी भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदान

वृद्धावस्था आय सुरक्षा के लिए अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की पहुंच बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने 8 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) को फेमा, 1999 के अंतर्गत एनआरआई्ज़ के लिए एक निवेश विकल्प बनाया। तदनुसार, अनिवासी भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा नियंत्रित और संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना में अभिदान कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसा अभिदान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाए और वह व्यक्ति पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवेश करने के लिए पात्र है। अनिवासी भारतीय अभिदान राशि का भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आवक विप्रेषण द्वारा या अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना (एनआरई)/विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना (एफसीएनआर)/अनिवासी साधारण रुपया खाता योजना (एनआरओ) में रखी अपनी निधि में से करेगा। वार्षिक वृत्ति/संचित बचत के प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(https://rbi.org.in/Scripts/NotificationUseraspx?Id=10093&Mode=0)

राय/प्रतिसूचना

भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन पर कार्यदल की रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 20 अक्टूबर 2015 को अपनी वेबसाइट पर 'भारत में बैंकों द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन' पर कार्यदल की रिपोर्ट (अध्यक्षः श्री सुदर्शन सेन, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग) उपलब्ध कराई।

कार्यदल ने वित्तीय लिखतों पर ध्यान संकेंद्रण के साथ निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में अपनी सिफारिशें संरचित की हैं :

i. वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण और आकलन
ii. वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और आकलन
iii. हेज लेखांकन और डेरिवेटिव
iv. उचित मूल्य आकलन
v. वित्तीय आस्तियों की हानि
vi. वित्तीय विवरणों और प्रकटन का प्रस्तुतीकरण
vii. मान्यता रद्द करना, समेकन और अन्य अवशिष्ट मुद्दे

यदि रिपोर्ट पर कोई सुझाव/राय हो तो प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को 30 नवंबर 2015 को या इससे पहले डाक या ई-मेल द्वारा भेजें।

अल्पना किल्लावाला, भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 द्वारा संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित। **मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.rbi.org.in/MCIR पर भी उपलब्ध है।**